



NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH



Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Prayagraj (U.P.)

No : 37/NCRES/42/23

Date : 18.1.2023

श्रीमान डा0 एम. राघवैया जी
महामंत्री, एन.एफ.आई.आर.
नई दिल्ली

विषय:- रेलवे लाभार्थियों हेतु प्राइवेट हास्पिटल में वार्डों की पात्रता को रिवाइज किया जाना।

संदर्भ:- (1) MoH&FW के पत्र संख्या F.No. S.11011/11/2016-CGHS(P)/EHS
दिनांक 28.10.2022

(2) रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2016/H-1/11/69/Hospital Recognition
दिनांक 6.6.2020

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि सातवें वेतन आयोग के पश्चात MoH&FW के O.M दिनांक 9.1.2017 के आधार पर रेलवे मेडिकल लाभार्थियों हेतु प्राइवेट हास्पिटल में वार्डों की पात्रता हेतु पत्र जारी किया था जो कि निम्न है -


क्रम संख्या	7 th CPC के अनुसार बेसिक पे	प्राइवेट हास्पिटल में वार्ड की पात्रता
1.	Up to 47600/-	जनरल वार्ड
2.	रु0 47601/- से 63100/- तक	सेमी-प्राइवेट वार्ड
3.	रु0 63101/- एवं अधिक	प्राइवेट वार्ड

परन्तु अब MoH&FW के संदर्भित पत्र (1) दिनांक 28.10.2022 के अनुसार तत्काल प्रभाव से उक्त पात्रता को निम्न के अनुसार रिवाइज कर दिया गया है।

क्रम संख्या	7 th CPC के अनुसार बेसिक पे	प्राइवेट हास्पिटल में वार्ड की पात्रता
1.	Up to 36500/-	जनरल वार्ड
2.	रु0 36501/- से 50500/- तक	सेमी-प्राइवेट वार्ड
3.	रु0 50500/- से अधिक	प्राइवेट वार्ड

अतः आपसे अनुरोध है कि रेलवे बोर्ड से वार्ता कर MoH&FW के पत्र दिनांक 28.10.2022 के आधार पर रेलवे बोर्ड से पत्र जारी कराने का कष्ट करें ताकि रेल कर्मचारी व RELHS लाभार्थियों को प्राइवेट हास्पिटल में संशोधित पात्रता के अनुसार लाभ मिल सके।

संलग्न :- MoH&FW का पत्र दिनांक 28.10.2022


(आर. पी. सिंह)
महामंत्री